संख्या-60 /2024/3872/22-2-2023-17(834)/2023

प्रेषक,

मदन मोहन,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 14 जून, 2024

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी फतेह सिंह उर्फ भज्जू चौहान पुत्र श्री हरनाथ सिंह चौहान, निवासी जनपद-मैनपुरी हाल जनपद-कन्नौज की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-31436/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-10.10.2023) दिनांक-19.10.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी फतेह सिंह उर्फ भज्जू चौहान पुत्र श्री हरनाथ सिंह चौहान, मनगॉव, थाना-किशनी, जनपद-मैनपुरी हाल ग्राम-अलमापुर गहलौत, थाना-तालग्राम, जनपद-कन्नौज का निवासी है। बंदी ने दिनांक 16.03.2006 को एक नाबालिग लड़की राधा, उम्र 06 वर्ष के साथ बलात्कार कर फ्राक से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-151/2006 में भा0द0वि0 की धारा-302, 376 एवं 3(2)5 एस0सी0एस0टी0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, कन्नौज के आदेश दिनांक 30.10.2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 16.09.2017 द्वारा बंदी की अपील को निर्णीत करते हुए एस0सी0एस0टी0 एक्ट में दी गयी आजीवन कारावास की सजा को स्थगित करते हुए धारा-302, 376 के अन्तर्गत आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 03.10.2023 तक अपरिहार 17 वर्ष 06 माह 16 दिन तथा सपरिहार 21 वर्ष 01 माह 03 दिन की सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 01.11.2022 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की जाती है तथा जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी द्वारा भविष्य में पुनः अपराध करने की सम्भावना होने, बन्दी द्वारा पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी को जेल में आगे निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने दिनांक 16.03.2006 को बन्दी द्वारा एक नाबालिग लड़की राधा, उम्र 06 वर्ष के साथ बलात्कार व फ्राक से गला दबाकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत गम्भीरतापूर्वक पुर्नविचार करते हुए प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी फतेह सिंह उर्फ भज्जू चौहान पुत्र श्री हरनाथ सिंह चौहान को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी फतेह सिंह उर्फ भज्जू चौहान (बंदी संख्या-24342) पुत्र श्री हरनाथ सिंह चौहान, निवासी जनपद-कन्नौज के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
मदन मोहन
विशेष सचिव।

संख्या-60 /2024/3872(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कन्नौज।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को रिट याचिका (क्रि0) सं0-276/2023 रामपाल व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.10.2023, दिनांक 05.12.2023 एवं दिनांक 12.02.2024 के सन्दर्भ में।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-60/2024/3872/22-2-2023-17(834)/2023

दिनांक 14 जून, 2024 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी फतेह सिंह उर्फ भज्जू चौहान पुत्र श्री हरनाथ सिंह चौहान, मनगॉव, थाना-किशनी, जनपद-मैनपुरी हाल ग्राम-अलमापुर गहलौत, थाना-तालग्राम, जनपद-कन्नौज का निवासी है। बंदी ने दिनांक 16.03.2006 को एक नाबालिग लड़की राधा, उम्र 06 वर्ष के साथ बलात्कार कर फ्राक से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-151/2006 में भा0द0वि0 की धारा-302, 376 एवं 3(2)5 एस0सी0एस0टी0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, कन्नौज के आदेश दिनांक 30.10.2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 16.09.2017 द्वारा बंदी की अपील को निर्णीत करते हुए एस0सी0एस0टी0 एक्ट में दी गयी आजीवन कारावास की सजा को स्थगित करते हुए धारा-302, 376 के अन्तर्गत आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 03.10.2023 तक अपरिहार 17 वर्ष 06 माह 16 दिन तथा सपरिहार 21 वर्ष 01 माह 03 दिन की सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 01.11.2022 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की जाती है तथा जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी द्वारा भविष्य में पुनः अपराध करने की सम्भावना होने, बन्दी द्वारा पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी को जेल में आगे निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने दिनांक 16.03.2006 को बन्दी द्वारा एक नाबालिग लड़की राधा, उम्र 06 वर्ष के साथ बलात्कार व फ्राक से गला दबाकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत गम्भीरतापूर्वक पुर्नविचार करते हुए प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी फतेह सिंह उर्फ भज्जू चौहान पुत्र श्री हरनाथ सिंह चौहान को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

मदन मोहन

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।